परिशिष्ट

197

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 25/8/06

क्रमांक एफ 44 -12/20-2/2006

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म0प्र0भोपाल ।

विषयः- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बाबत् ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है ।

संलग्नः- परिशिष्ट एक एवं दो

अवर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/8/06

पृ0क्र0एफ 44-12/20-2/2006

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
2- सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग भोपाल
3- सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल
4- समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
5- समस्त कलेक्टर, म0प्र0
6- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
7- [illegible]

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

...त्रों में हाई स्कूल तथा उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

हाई स्कूल–

अनिवार्यतः

1– बसाहट से 5 कि0मीटर की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2– पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्ष 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3– कक्षा 9 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकताऐं–

1– स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2– रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(क) हायर सेकेन्ड्री स्कूल के मापदण्ड –

अनिवार्यतः

1– बसाहट से 8 कि0मीटर की परिधि में हायर सेकन्ड्री स्कूल की सुविधा न होना ।
2– पोषक हाई स्कूल की कक्ष 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3– कक्षा 11 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकताऐं–

1– स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2– रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

अवर सचिव
म0प्र0 शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

New School Opaning

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग